क्रमांक 22/36/86-3 जी0 एस0 III

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्षों तथा आयुक्तों, अम्बाला, हिसार, रोहतक एवं गुड़गांव मण्डल।

2. सभी उपायुक्तों तथा सभी उप-मण्डल अधिकारियों (सिविल), हरियाणा।

3. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।

दिनांक, चण्डीगढ़ 4 मई, 1994.

विषय : अनुसूचित जातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए सेवाओं में आरक्षण।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान सरकार के परिपत्र क्रमांक 38/20/78-2 जी0एस0 1, दिनांक 9-2-79 द्वारा जारी की गई हिदायतों के पैरा I(II) (सी) तथा परिपत्र क0 22/46/85-3 जी0ए स0 III दिनांक 22-8-85 द्वारा जारी की गई हिदायतों के पैरा-2 की ओर आकर्षित करूं और कहूं कि इन हिदायतों में स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि आरक्षण का लाभ केवल निर्धारित सीमा तक ही दिया जाना है।

2. कुछ समय से सरकार के विचारार्थ यह बिन्दु रहा है कि आरक्षण का लाभ क्या चार या उससे कम पदों वाले काडर पर लागू होगा। इस मामले में विधि विभाग की मंत्रणा प्राप्त करके विचारोपरांत यह स्पष्ट किया जाता है कि जिस काडर में पदों की संख्या एक से चार तक हो, वहां किसी कैटेगरी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। कृपया इस स्थिति से सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को अवगत करा दिया जाए ताकि इन हिदायतों की दृढता से पालना हो सके।

भवदीय,

वास देव वर्मा

अवर सचिव सामान्य प्रशासन-II

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।